कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री सुगन चन्द गुर्जर, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राशमी जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राउमावि भुरानपुरा जाटान जिला जयपुर (225429) किया गया था। तत्पश्चात एक अन्य आदेश दिनांक 04.01.2021 द्वारा उक्त स्थानान्तरण को निरस्त कर श्री गुर्जर को पुनः राबाउमावि राशमी जिला चित्तौडगढ में यथावत पदस्थापित किया गया जिसके विरूद्ध श्री सुगन चन्द गुर्जर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1480/2021 सुगन चन्द गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1480/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री सुगन चन्द गुर्जर के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित करते हुए श्री सुगन चन्द गुर्जर को राउमावि भुरानपुरा जाटान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति बाबत निर्देशित किया गया।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री सुगन चन्द गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरानपुरा जाटान जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन पूर्ववत कार्यरत रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य सरोज सुमेर को दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेश की पालना कर अवगत करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/सुगन चन्द/1480/2021 दिनांकः 05.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/चित्तौडगढ।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)